Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 107/2019 दायर तारीख :– 15-11-2019

1. श्यामलाल पुत्र ग्यारसा जाति जाट निवासी ढाणी जोडीवाला तन ढाणी गैसकान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। —— प्रार्थी

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नि कालूराम } समस्त जाति जाट निवासी ढाणी
2. माली देवी पत्नि जगदीश प्रसाद } जोडावाली तन ढाणी गैसकान
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर राज0। —— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढ़ी

एवं सीमा निश्चयकरण

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 व 2
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 10.09.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम ढाणी गैसकान् के खाता संख्या 224 के हाल आराजी खसरा नम्बर 357/0.17, 419/0.17, 420/0.27, 421/0.17 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.78 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि हाल खाता संख्या 251 के खसरा नंबर 4673/357 रकबा 0.0850 एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि हाल खाता संख्या 164 के खसरा नंबर 4697/4673 रकबा 0. 0850 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर बने डोल को काटते रहते है और प्रार्थी को नाजायज रूप से परेशन करते रहते है। प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2016/4924 दिनांक 25. 10.2016 की पालना में दिनांक 03.11.2016 को सीमाज्ञान करवा लिया है, परन्तु अप्रार्थीगण सीमाज्ञान से सन्तुष्ट नहीं है। यह है कि खाता संख्या 224 के हाल आराजी खसरा नंबर 357/0.17, 419/0.17, 420/0.27, 421/0.17

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.78 हैक्टेयर की मौके पर नाप नपत करवाकर जरिये तहसीलदार महोदय व हल्का पटवारी आदि को आदेश दिलवाकर मय पुलिस जाप्ता से जिसमें महिला पुलिस जाप्ता भी शामिल हो से पत्थरगढ़ी स्थाई मेड बन्दी सीमा चिन्ह कायम करवाये। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम ढाणी गैसकाऩ के खाता संख्या 224 के हाल आराजी खसरा नम्बर 357/0.17, 419/0.17, 420/0.27, 421/0.17 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.78 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन मय पुलिस जाप्ता से करवाते हुए मौके पर स्थाई सीमाचिन्ह एवं पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।
3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 03.11.2016, नकल सीमाकंन करवाने हेतु आवेदन पत्र, नकल जमाबन्दी ग्राम ढाणी गैसकान खाता संख्या 224 संवत् 2073—2076, नकल जमाबन्दी ग्राम ढाणी गैसकान खाता संख्या 251 संवत् 2073—2076, नकल जमाबन्दी ग्राम ढाणी गैसकान खाता संख्या 164 संवत् 2073—2076, नक्शा ट्रेस ढाणी गैसकान, फोटो कॉपी आधार कार्ड प्रार्थी आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम ढाणी गैसकाऩ के पुराना खाता संख्या 224 एवं नया खाता संख्या 228 के हाल आराजी खसरा नम्बर 357/0.17, 419/0.17, 420/0.27, 421/0.17 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.78 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073—2076 है। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा—डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि के लिए तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : भू.अ./2016/4924 दिनांक 25.10.2016 की पालना में दिनांक 03.11.2016 को सीमाज्ञान करवा लिया है खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम ढाणी गैसकाऩ के खसरा नम्बर 357/0.17, 419/0.17, 420/0.27, 421/0.17 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.78 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज 10.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर